न्यायालय—सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला—पाली

पीठासीन अधिकारी—श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व मूल वाद संख्या—47 / 2018
तारीख निर्णय—24/12/2019
वादी—

कन्यादेवी पत्नी वजारामजी पुत्री रूपारामजी जाति—जणवा चौधरी निवासी—नारलाई तहसील—देसूरी जिला—पाली (राज.)

—: विरूद्ध :—

प्रतिवादीगण—

1. मांगीदेवी पत्नी उमारामजी जाति—सीरवी निवासी—गुडा पृथ्वीराज तहसील—देसूरी जिला—पाली (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, देसूरी

—: वाद अन्तर्गत धारा— 53, 188राज0 काश्त0 अधिनियमः—

उपस्थिति—

1—वकील श्री सुधीर श्रीमाली वादीगण की ओर से।
2— प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय ।
3— प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार देसूरी उपस्थित

—: निर्णय :— **दिनांक—24/12/2019**
(अंतिम—डिकी)

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा— 53, 188, राज0 काश्त0 अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि—मौजा ग्राम नारलाई तहसील—देसूरी जिला पाली के खसरा नम्बर 1439 रकबा 0.9800 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1440 रकबा 1.4200 हैक्अर किस्म बारानी अव्वल,खसरा नम्बर 1441 रकबा 1.1000 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1442 रकबा 1.2500 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल रकबा 4.7500 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है।उक्त वादग्रस्त आराजी वादीनी का 1/2 व प्रतिवादी सख्या एक का 1/2 हिस्से की खरीदसूदा व कब्जासूद कृषि भूमि विद्यमान है। वादग्रस्त आराजी का आज से दो वर्ष पूर्व वादीनी व प्रतिवादीनी सख्या एक के मध्य अलग अलग मौके पर बंट हो चूके है।वादग्रस्त आराजी का आधा पूर्व दिशा का हिस्सा यानि 15 बीघा भूमि वादीनी के हिस्से में आई। तथा वादग्रस्त आराजी का शेष हिस्सा पश्चिम दिशा मे 15 बीघा प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से मे आई थी। परन्तु उक्त वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में आज भी सयुक्त दर्ज है। वादग्रस्त आराजी का पृथक से मौके पर बंट अनुसार रिकार्ड अलग नहीं

पेज लगातार 2 पर ......

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

हुआ है। जिससें वादीनी वादग्रस्त आराजी में विद्यमान अपने आधे हिस्से का तथा मौके पर पृथक पूर्व दिशा की 15 बीघा भूमि का पृथक राजस्व रिकार्ड अपने नाम से करवाना चाहती है।जिस हेतु वादीनी ने 10 दिनों पूर्व प्रतिवादी संख्या एक से निवेदन किया जिसके बावजूद प्रतिवादी संख्या एक ने तत्पर नही हुई तथा इसके ठीक विपरीत प्रतिवादी संख्या एक व उसके पति ने जबरदस्ती वादीनी की कब्जे काश्त में दखलअदांजी की है। जिससे प्रतिवादी संख्या एक को जरिये निषेधाज्ञा से रोकना अतिआवश्यक है। तथा वादग्रस्त आराजी का पृथक बंटवाडा मौके पर किया जाना आवश्यक है। जिस हेतु वादीनी का वाद अन्तर्गत 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या एक ने सम्मन लेने से इन्कार करने पर उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी के बयान शपथ पत्र के प्रदर्श करवाये गये। एक पक्षीय बहस सुनी गई। तथा न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक डिकी इस अमर से जारी की गई कि मौजा ग्राम नारलाई के खसरा 1439 रकबा 0.9800 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1440 रकबा 1.4200 हैक्अर किस्म बारानी अव्वल,खसरा नम्बर 1441 रकबा 1.1000 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1442 रकबा 1.2500 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल रकबा 4.7500 हैक्टर लगान 33.25 रूपये वादीनी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सख्या एक का 1/2 हिस्सा जमाबन्दी मे दर्ज अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या एक के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन की प्राथमिक डिकी दिनांक 29.08.2019 को जारी की गई। उक्त वादग्रस्त आराजी का तहसीलदारजी, देसूरी मौके पर नियमानुसार नाप चौक कर बाई मिटस् एण्ड बाउण्ड बंटवाडा कर पृथक-पृथक बंट कर नक्शा मे पृथक- पृथक रंगो से दर्शाते हुए बंटवाडा प्रस्ताव मय नक्शा के दो दो प्रतियों मे इस न्यायालय को भिजवाये जाने का आदेश प्रदान किया गया।

तहसीलदारजी, देसूरी द्वारा कमाक/राजस्व/2019/242 दिनांक 26.11.2019 को प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव रिर्पोट मय नक्शा के प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

बंटवाडा प्रस्ताव के संबंध मे पक्षकारान की तरफ से कोई आपत्ति एतराज प्रस्तुत नही हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बंटवाडा प्रस्ताव रिर्पोट का अवलोकन किया। माफीक बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार वाद अंतिम डिकी योग्य है।

-: आदेश :-

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजियात मौजा ग्राम नारलाई तहसील-देसूरी जिला पाली के खसरा नम्बर 1439 रकबा 0.9800 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1440 रकबा 1.4200 हैक्अर किस्म बारानी अव्वल,खसरा नम्बर 1441 रकबा 1.1000 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1442 रकबा 1.2500 हैक्टर किस्म

पेज लगातार 3 पर..

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) [seal]

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

बारानी अव्वल कुल रकबा 4.7500 हैक्टर लगान 33.25 का माफीक बंटवाडा प्रस्ताव व उसके सलंग्न नक्शानुसार वाद में अंतिम डिकी निम्न प्रकार सादिर की जाती है :–

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	**वादी** कन्यादेवी पत्नी वजाराम जाति–जणवा सा देह खातेदार	1440 / 1 1441 1442	0.02 1.10 1.25	बा.अ. बा.अ. बा.अ.	0.14 7.70 8.75
		03	2.37 है.		16.59
2.	**प्रतिवादी** मांगीदेवी पत्नी उमाराम जाति–चौधरी सा.देह खातेदार	1439 1440	0.98 1.40	बा.अ. बा.अ.	6.86 9.80
		02	2.38 है.		16.66

उपरोक्तानुसार तहसीलदार, देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोट मय नजरी नक्शा को इस निर्णय व डिकी का भाग समझा जावें।वादी के बंट हिस्सा व कब्जे में दखलदांजी करने से रोकने हेतु प्रतिवादी 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।कुल लगान 33.32 रूपये का पांच गुणा पद देय मुद्रांक के प्रभावी नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प रूपये 50/– वादी पेश करें। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। तहसीलदार देसूरी तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शा में तरमीम करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल रफतर हो।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 24/12/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

—: अंतिम डिगरी बमुकदेमें इब्तदाई :—

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय— सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी, जिला—पाली

पीठासीन अधिकारी— श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व मूल वाद संख्या—47 / 2018

वादी—

कन्यादेवी पत्नी वजारामजी पुत्री रूपारामजी जाति—जणवा चौधरी निवासी—नारलाई तहसील—देसूरी जिला—पाली (राज.)

—: विरूद्ध :—

प्रतिवादीगण—

1. मांगीदेवी पत्नी उमारामजी जाति—सीरवी निवासी—गुडा पृथ्वीराज तहसील—देसूरी जिला—पाली (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, देसूरी

—: वाद अन्तर्गत धारा— 53, 188,राज0 काश्त0 अधिनियमः—

मुकदमा नम्बर— राजस्व मूल वाद संख्या—47 / 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनिफिसाल कत्तई रूबरू हमारे वकील श्री सुधीर श्रीमाली अधिवक्ता मिनजानिब मुद्धईयान पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिगरी दी जाती है कि—अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजियात मौजा ग्राम नारलाई तहसील—देसूरी जिला पाली के खसरा नम्बर 1439 रकबा 0.9800 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1440 रकबा 1.4200 हैक्अर किस्म बारानी अव्वल,खसरा नम्बर 1441 रकबा 1.1000 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1442 रकबा 1.2500 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल रकबा 4.7500 हैक्टर लगान 33.25 का माफीक बंटवाडा प्रस्ताव व उसके सलंग्न नक्शानुसार वाद में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार सादिर की जाती है :—

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	**वादी** कन्यादेवी पत्नी वजाराम जाति—जणवा सा देह खातेदार	1440 / 1 1441 1442	0.02 1.10 1.25	बा.अ. बा.अ. बा.अ.	0.14 7.70 8.75
					16.59
		03	2.37 है.		

पेज लगातार 2 पर....

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

2.	**प्रतिवादी** मांगीदेवी पत्नी उमाराम जाति–चौधरी सा.देह खातेदार	1439 1440	0.98 1.40	बा.अ. बा.अ.	6.86 9.80
		02	2.38 हैक्टर		16.66

उपरोक्तानुसार बंटवाडा की अंतिम डिक्री सादिर की जाती है। प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव व उसके साथ सलग्न नक्शा को इस डिक्री का भाग माना जावे। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद एवं नक्शा मे तरमीमात किया जावे।

बरोज ++ मुबलिक ++ बाबत ++ मुकदमे मय सूद वच शहर ++ फीस सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....++ ....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख– 24 माह 12 सन् 2019

मोहर

दस्तखत

ओहदा.................
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मुद्धई	रूपयां पैसा	मुद्धायलास	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजान		मिजान	

नोट– इस खर्चे के फाम पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2020.07.10 14:08:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: